शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

माननीय विधायक का नाम : श्रीमती प्रीति जितेन्द्र तोमर

दिनांक : 15.12.2023

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 03

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न विकास कार्यों को करवाने के लिए सीएम लैड फंड और एमएसपीवाई फंड का प्रावधान किया गया था;	जी हॉ, यह सत्य है।
ख	यदि हाँ, तो सीएम लैड फंड और एमएसपीवाई फंड के लिए सरकार ने कितने–कितने रूपए आवंटित किये थे;	**एमएसपीवाई /सीएमलैडः–** मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत वर्ष 2023–24 में रू 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सीएमलैड के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में रू 300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
ग	क्या यह भी सत्य है कि सीएम लैड फंड और एमएसपीवाई फंड से विकास कार्य करवाने के लिए बहुत सारे विधायकों ने 3 महीने पहले शहरी विकास मंत्री के माध्यम से शहरी विकास विभाग में विभिन्न प्रपोजल जमा किये थे लेकिन आज तक इन प्रपोजल्स के लिए कोई फंड रिलीज नहीं किया गया; और	**एमएसपीवाई /सीएमलैड :–** मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माणयोजना के अंतर्गत वर्ष 2023–24 में रू 124.59 करोड़ रूपये विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए जारी किये जा चुके हैं। तथा कुछ प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति हेतु फाइल को प्रस्तुत किया जा चुका है, स्वीकृति मिलने के उपरांत सीएम लैड फंड योजना का कार्य शुरू किया जा सकेगा ।
घ	यदि नहीं, तो फंड रिलीज नहीं करने के क्या कारण है?	**एमएसपीवाई/सीएमलैड :–** मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के प्रावधानों में संशोधन हेतु तथा TBR-1993 के अनुसार एक कैबिनेट नोट, माननीय शहरी विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिस पर फैसला लंबित है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति हेतु फाइल को प्रस्तुत किया जा चुका है, स्वीकृति मिलने के उपरांत सीएम लैड फंड योजना का कार्य शुरू किया जा सकेगा ।

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

अत्यंत महत्वपूर्ण
विशेष पत्र वाहक द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉं तल, "सी" – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी. एस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(03)/~~ता.~~अता. प्र.03/चतुर्थ सत्र (चतुर्थ–भाग) 2023/दिविस/श.वि./4897-98 दिनांकः 19/12/2023

सेवा में,

1. उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः सातवीं दिल्ली विधानसभा के चतुर्थ सत्र का (चतुर्थ–भाग) 2023 अतारांकित / ~~तारांकित~~ प्र0 सं. 03 मान्नीय विधायक श्रीमती प्रीति जितेन्द्र तोमर दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में वर्णित विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित की गई अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
उप–सचिव (संसदीय शाखा)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

कृपया प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली (प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित) दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

(हस्ताक्षर)
उप–सचिव (संसदीय शाखा)